



JEEVIKA

Rural Development Department, Government of Bihar

**Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar**



Vidyut Bhawan - II, Bailey Road, Patna- 800 021; Ph.:+91-612-250 4980; Fax:+91-612-250 4960, Website:www.brlps.in

पत्रांक : BRLPS/Proj-LH/934/16/VOL-III/4522 दिनांक: 09.11.2022

कार्यालय आदेश

बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति, विगत 5 वर्षों से ताड़ के पेड़ से प्राप्त नीरा का संग्रहण एवं विक्रय का कार्य कर रही है। इस कार्य के लिए जीविका द्वारा ग्रामीण स्तर पर पूर्व में ताड़ी के व्यापार से जुड़े पासी समुदाय के लोगों को नीरा उत्पादन से सम्बंधित तकनीकी विषयों पर प्रशिक्षित कर उनको नीरा उत्पादक समूहों में जोड़ा जा चुका है।

दिनांक 26 अक्टूबर, 2022 को पटना में मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग एवं जीविका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित जीविका दीदियों के साथ संवाद कार्यक्रम के दौरान खजूर के पेड़ों से नीरा उत्पादन की जानकारी जीविका दीदियों के द्वारा दी गई। प्राप्त जानकारी के आलोक में खजूर के पेड़ों से प्राप्त हो रहे नीरा को ताड़ के पेड़ों से प्राप्त होने वाले नीरा के समान ही जीविका के नीरा उत्पादक समूह / ग्राम संगठन के माध्यम से प्रत्येक जिलों में 1 या 2 विक्रय केंद्रों के जरिये विक्रय करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, खजूर उत्पादित नीरा के विक्रय के संदर्भ में निम्नांकित आदेश दिया जाता है :-

1. सभी जिला दिनांक 10 नवम्बर 2022 से खजूर के पेड़ से नीरा का संग्रहण कर पूर्व में स्थापित नीरा केन्द्रों के द्वारा विक्रय करेंगे।
2. प्रत्येक दिन अपराहन 03:00 बजे तक नीरा मोबाइल एप्लीकेशन पर खजूर नीरा संग्रहण एवं विक्रय विवरणी अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।
3. नीरा से सम्बंधित कार्य को पूर्ण करने के लिए पूर्व से निर्गत आदेश संख्या BRLPS/Proj-LH/934/16/I/17357/2022, दिनांक 10.02.2022 एवं BRLPS/Proj-LH/934/16/I /21727 /2022, दिनांक 11.04.2022 यथावत लागू रहेंगे।

उपरोक्त वर्णित आदेश अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

(राहुल कुमार)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

प्रतिलिपि -

1. सभी जिला परियोजना प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. जीविका के सभी राज्य स्तरीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।
3. राज्य परियोजना प्रबंधक, कृषि / MIS को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।